Regarding establishment of courts for dealing with specialized subjects-laid

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): हमारा देश विश्व में अब सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है । हमारे देश की न्यायपालिकाओं में स्वाभाविक है कि करोड़ों की संख्या में मामले होंगे और रोज लाखों मामले आएंगे भी । वर्तमान में कुल लंबित प्रकरणों की संख्या 4 करोड़ 50 लाख है । जहाँ न्यायालयों में न केवल मुकदमों की संख्या बढ़ रही है बल्कि नए-नए प्रकार के मुकदमे भी आ रहे हैं । आर्थिक अपराधों के साथ-साथ "साइबर क्राइम", महिला अपराधों तथा विशेष विषय प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है । विषय विशेषज्ञता के अभाव में न केवल केस लंबित रहता है, वहीं गुणवत्ता पूर्वक फैसले भी नहीं आ पाते हैं । आज चिकित्सा, अभियांत्रीकी आदि सभी क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं । लेकिन हमारे कानून व्यवस्था में ऐसी स्थिति नहीं है । यदि मेडिकल से सम्बन्धित प्रकरण कोर्ट में जाता है तो जज व वकील दोनों को ही बहुत अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें समय व गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है । अतः मेरा माननीय कानून मंत्री जी से अनुरोध है कि अन्य विशेष प्रकार के अपराधों व प्रकरणों की सुनवाई के लिए विषय विशेष कोर्टों, विशेषज्ञ सरकारी वकील व विशेषज्ञ कोर्ट स्टाफ की भरती की जाए, ताकि न केवल प्रकरणों का जल्दी फैसला हो बल्कि गुणवत्ता पूर्वक न्याय मिलना आसान हो पाए ।